राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं, राजस्थान,जयपुर

क्रमाक ई–20 / म0स्वा0कार्य0 / (पी–217) / 2019 / दिनाक–.

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के द्वारा एस.बी.सिविल रिट पिटीशन सख्या 9940 / 2019 में पारित आदेश दिनांक 01.06.2019 के कम में श्रीमती / सुश्री प्रेक्षा मीणा पुत्री श्री लखराज मीणा, सगीता कुमारी पुत्री श्री सुखराम, संगीता चौधरी पुत्री श्री सिकुनराम चौधरी, रेनुका चौधरी पुत्री श्री रूगाराम, पुजा पुत्री श्री प्रेम प्रकाश सैन,किरण देवी पुत्री श्री मोदाराम, लिछमा मेघवाल पुत्री श्री राजुराम, विक्षु जाट पुत्री श्री नानुराम जाट, प्रेम देवी कुम्हार पुत्री श्री पप्पुराम, सुमन कुमारी पुत्री श्री बलदेव राम द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय के निर्णय दिनाक 01.06.2019 की पालना मे महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति हेतु ऑफलाईन आवेदन प्रस्तुत किया है।

माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर का निर्णय दिनाक 01.06.2019 निर्णयानुसार है–

Counsel for the petitioner seeks permission to withdraw the writ petition with liberty to the petitioners to take other steps, as may be advised in accordance with law. Permission as sought is granted.

The writ petition is dismissed as withdrawn with liberty as prayed for.

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती विज्ञप्ति कमांक नर्सिंग / म0स्वा0कार्य0 / एमएनआईटी / (सीधी भर्ती–2018) / 2018 / 1363 दिनांक 18.06.2018 में अभ्यार्थियो से ऑनलाईन आवेदन फार्म दिनाक 22.06.2018 प्रात 10.00 बजे से दिनाक 23.07.2018 मध्य रात्रि 12.00 बजे तक फॉर्म भरने की अन्तिम तिथि नियत की गई थी। जिसमें याचिकाकर्ताओ द्वारा ऑनलाईन आवेदन नही किया गया है।

अभ्यर्थियो के ऑफलाईन फार्म लेने के सम्बन्ध में माननीय न्यायालयो द्वारा पारित निर्देशो की पालना मे महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती विज्ञप्ति दिनाक 18.06.2018 के कम में सशोधित विज्ञप्ति दिनांक 31.07.2018 को जारी कर दिनाक 03.08.2018 तक ऑफ लाईन फार्म लेने के लिए तिथि नियत की गई, जिसमें भी याचिकाकर्ताओ द्वारा ऑफ लाईन आवेदन नही किया गया है।

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन कमाक ई–33 / महि.स्वा.कार्य / एमएनआईटी / (सीधीभर्ती–2018) / 2018 / 874 दिनांक27.05.2019 से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीधी भर्ती–2018 के कम में ऑनलाईन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियो के विज्ञापित पदों की सख्या का दोगुना वर्गवार अभ्यार्थियों को वरियता अनुसार एवं माननीय न्यायालय मे विभिन्न याचिकाओं में पारित आदेश / निर्णय की पालना में ऑफ लाईन आवेदन प्रस्तुत करने वाले याचिकाकर्ताओं को दस्तावेज सत्यापन करने हेतु आमंत्रित किया गया।

एस.बी.रिट पिटीशन संख्या 9940 / 2013 प्रेक्षा मीणा व अन्य बनाम राज्य सरकार प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनाक 01.06.2019 से याचक को कानून के अनुसार अन्य कार्यवाही करने की स्वतंत्रता के साथ याचिका को वापिस लेने के आधार पर खारिज की गई है।

Desktop\ANM\ANM order 2019

मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.06 2019 एवं याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 03.06 2019 एवं समस्त रिकॉर्ड का मनन एव अध्ययन करने के उपरान्त निर्णय लिया गया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती विज्ञप्ति दिनाक 18 06.18 के क्रम में ऑनलाईन फार्म भरने की अंतिम तिथि तक अपना फार्म पर्याप्त समय मिलने के उपरात भी नही भरा था। तत्पश्चात माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर के विभिन्ने आदेश के अनुसरण मे पुन विज्ञप्ति दिनांक 31.07.2018 को प्रकाशित कर 03.08.2018 तक 03 दिवस का अतिरिक्त समय देते हुए पुन. ऑफलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किये गये परन्तु याचिकाकर्ताओ द्वारा इस अतिरिक्त समय मे भी ऑफलाईन आवेदन पत्र नही भरे गये। अर्थात याचिकाकर्ताओ द्वारा कभी भी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र भरा ही नही गया है।

अत. याचिकाकर्ताओं द्वारा ऑनलाईन/ऑफलाईन आवेदन पत्र नही भरने से प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.06.2019 के क्रम में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 03.06 2019 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक. (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर
दिनांकः– 11.7.2019

क्रमाक. ई 20/म0स्वा0कार्य0/(पी–217)/2019/ 1082
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है.–

1. उप विधि परामर्शी मुख्यालय।
2. संयुक्त निदेशक(अराजपत्रित) चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवायें।
3. सम्बन्धित याचिकाकर्ताओ को उनके रिट पर दिये पते पर।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर